कार्यालय प्राचार्य,
शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

वेब साइट :– www.gnscr.ac.in ईमेल :- principal.npgcsr@gmail.com

क्रमांक/3112/ स्था.राज /अति.व्या./2026 रायपुर, दिनांक 07.01.2026

// अतिथि व्याख्याता हेतु विज्ञापन//

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. 289/01/आउशि/स्था.राज./2025 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 एवं उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं ई.एस.टी.बी. –1027/1216/2025/38–1 दिनांक 23.07.2025 के अनुसार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) में प्राध्यापक/सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदों के विरूद्ध अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदको से अतिथि व्याख्याता/अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन दिनांक 17.01.2026 सायं 05 बजे तक पता **प्राचार्य, शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर (छ.ग.) पिन 492010** में केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करे) प्रस्तुत कर सकते है।

रिक्त पदो का विवरण निम्नानुसार है:–

क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक के रिक्त पदो की संख्या
01	गणित	01
02	वनस्पति शास्त्र	01
	कुल योग:–	**02**

टीप:–

01. निर्धारित तिथि के पश्चात आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जावेगा।
02. चयन प्रक्रिया अतिथि व्याख्याता नीति 2024 के परिपालन में किया जावेगा तथा मानदेय भी उसी के अनुसार निर्धारित किया जावेगा।
03. आवेदक सील बंद लिफाफा के उपर में विषय, पता, मो.नं. अनिवार्य रुप से स्पष्ट अक्षरो में लिखे।
04. रिक्त पदो की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
05. विज्ञापन की विस्तृत जानकारी महाविद्यालय वेबसाईट पर उपलब्ध है।
06. महाविद्यालय का पिन कोड 492010 है।

(डॉ. अमिताभ बैनर्जी)
प्राचार्य
शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)

आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर का पत्र क्रं. 289/01/आउशि/स्था.राज./2025 नवा रायपुर दिनांक 23.07.2025 एवं उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय का पत्र क्रं ई.एस.टी.बी.–1027/1216/2025/38–1 दिनांक 23.07.2025 के अनुसार शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर में विषय गणित एवं वनस्पति शास्त्र में अध्यापन व्यवस्था हेतु योग्य एवं निर्धारित अर्हताधारी आवेदकों के अतिथि व्याख्याता एवं अतिथि शिक्षण सहायक हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदक अपने समस्त प्रमाण–पत्र एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन दिनांक 17.01.2026 को सायं 05:00 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा वाहक के हस्ते (कार्यालय से पावती प्राप्त करें) प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता –

01. अतिथि व्याख्याता को कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख–रखाव हेतु अन्य उपाय) संबंधी विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुरूप होगी। इस व्यवस्था के अतंर्गत अतिथि शिक्षण सहायक के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए परन्तु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिये स्नातकोत्तर स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक होने चाहिए।
02. स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम आदर्श महाविद्यालयों में कार्य करने के लिए बिन्दु 1 के समान न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के साथ–साथ आवेदकों को अंग्रेजी माध्यम से अध्यापन का अनुभव तथा अध्यापन के दौरान छात्र/छात्राओं से अंग्रेजी माध्यम से संवाद कर पाठ्य–विषय से संबंधित जिज्ञासाओं का भी निराकरण करने में सक्षम होना अनिवार्य होगा। इस हेतु आवेदक अभ्यर्थियों की व्यवस्था राज्य स्तरीय गठित समिति के द्वारा सक्षमता एवं दक्षता के आधार पर निर्धारित की जायेगी।
03. आयु सीमा अतिथि व्याख्याता, अतिथि शिक्षण सहायक अधिकतम 65 वर्ष तक।
04. छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

पदों का विवरण –

क्रं.	विषय	सहायक प्राध्यापक/प्राध्यापक के रिक्त पदो की संख्या
01	गणित	01
02	वनस्पति शास्त्र	01
	कुल योगः–	**02**

टीप – संबंधित विषयों में नवीन नियुक्ति/नियमित पदस्थापना या स्थानांतरण के फलस्वरूप पद भर जाने पर उक्त पद के विरूद्ध कार्यरत अतिथि व्याख्याता एवं अन्य की सेवा स्वतः समाप्त हो जावेगी।

शर्ते –

01. आवेदन के साथ मूल निवासी प्रमाण पत्र, 10वीं, 12वीं., स्नातक, स्नातकोत्तर, सेट/नेट, एम.फिल./पी.–एच.डी., अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करें।

02. दिनांक 17.01.2026 तक कार्यालयीन समय में डाक के माध्यम से अथवा स्वयं उपस्थित होकर आवेदन कर सकते हैं, प्राप्त आवेदनों को ही गुणानुक्रम सूची में शामिल किया जावेगा। ई–मेल से भेजे गये आवेदन को मान्य नहीं किया जावेगा। वर्तमान में ऑफलाईन अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार किये जा रहे है। भविष्य में आवेदन स्वीकार करने की इस प्रक्रिया में ऑनलाईन पोर्टल तैयार होने पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन संभावित होगा।

03. अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार मेरिट सूची तैयार की जावेगी।

04. प्राप्त आवेदनों की पदवार अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन दिनांक 20.01.2026 को महाविद्यालय के सूचना पटल व वेबसाईट पर प्रकाशित किया जावेगा। महाविद्यालयों की वेबसाईट नहीं होने पर संबंधित जिले के अग्रणी महाविद्यालयों की वेबसाईट में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य होगा। वेबसाईट में विस्तृत विवरण भी अपलोड किया जायेगा।

05. गुणानुक्रम अनुसार अनंतिम सूची में दावा आपत्ति की तिथि 23.01.2026 तक होगी।

06. अंतिम सूची का प्रकाशन दिनांक 28.01.2026 को किया जावेगा। जिसका अवलोकन महाविद्यालय की वेबसाईट अथवा सूचना पटल में किया जायेगा।

07. आमंत्रित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के समय इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संबंधित के विरूद्ध पुलिस/न्यायालय में कोई अपराधिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है। साथ ही अभ्यर्थी किसी अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में नहीं है एवं पूर्व में किसी महाविद्यालय मे शिकायत/कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने के आधार पर अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त नहीं की गई है।

08. आवेदन उपरांत संबंधित चयनित अभ्यर्थी यदि समय सीमा में कर्तव्य स्थल पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उस दशा में अगले चरणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

09. अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य की सेवायें भविष्य में नियमितीकरण का आधार नहीं होगा।

10. अतिथि व्यवस्था के अंतर्गत देय मानदेय निम्नानुसार होगा –

क्र.	विवरण	अतिथि व्याख्याता	अतिथि शिक्षण सहायक
(अ) 40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
1	40–45 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	400/–	300/–
2	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	1600/– (41600/– प्रतिमाह अधिकतम)	1200/– (30000/– प्रतिमाह अधिकतम)
(ब) 60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये			
3	60 मिनट के एक व्याख्यान के लिये	500/–	350/–
4	चार कालखण्डों के लिये प्रतिदिन अधिकतम मानदेय	2000/– (50000/– प्रतिमाह अधिकतम)	1400/– (35000/– प्रतिमाह अधिकतम)

11. आवेदन बंद लिफाफे के ऊपर पत्राचार का पता प्राचार्य शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर एवं आवेदित विषय/पद आवश्यक रूप से लिखे।

12. इस विज्ञापन के तहत व्यवस्था किए गए अतिथि व्याख्याता एवं अन्य को महाविद्यालयीन स्थापना के अंतर्गत माना जायेगा। वे लोक-सेवक की विधि विहित परिभाषा के अंतर्गत लोक-सेवक नहीं कहलायेंगे।

13. संस्थान में इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत, यदि लगातार 15 दिवस तक अनुपस्थित रहता है तों उनकी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी, जिसकी कार्यवाही संबंधित संस्था प्रमुख द्वारा की जावेगी।

14. इन्हें सर्वत्र अनुशासन बनाए रखना होगा तथा संस्था प्रमुख के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

15. कक्षाओं के संचालन के साथ-साथ संस्था प्रमुख के निर्देशानुसार अध्यापन के अतिरिक्त कार्य यथा प्रवेश, परीक्षा, छात्रसंघ चुनाव, योजनाओं का संचालन, साहित्य एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा गतिविधियां, युवा उत्सव, आंतरिक परीक्षाओं का संचालन एवं मूल्यांकन, नैक मूल्यांकन संबंधी कार्यों में ये सहयोग करेंगे।

16. यदि कार्य अवधि के शैक्षणिक सत्र में उनकी अध्यापन कार्य संबंधी अथवा अन्य शिकायतें प्राप्त होती है तो सेवाएं तत्काल समाप्त की सकेगी तथा वे आगामी शैक्षणिक सत्रों में अध्यापन कार्य हेतु पात्र नहीं होंगे।

(डॉ. अमिताभ बैनर्जी)
प्राचार्य
शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)